

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)(242/86आर)/अलेसे -III/505-09

दिनांक :- 19.03.2015

आदेश

श्री महावीर प्रसाद पारीक, कनिष्ठ लेखाकार (लिंग नं० 5676) कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, केकड़ी (अजमेर) का दिनांक 28.02.2015 को स्वर्गवास हो जाने के कारण इन्हे दिनांक 28.02.2015 से कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग से पृथक किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री पारीक के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाए वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम- 1958 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच लम्बित/विचाराधीन नहीं है।

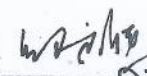

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(242/86आर)/अलेसे -III/505-09

दिनांक :- 19.03.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, केकड़ी (अजमेर) को उनके पत्र क्रमांक एस.एस.ए/केकड़ी/2014-15/304 दिनांक 02.03.2015 के क्रम में भेजकर लेख है कि स्व० श्री महावीर प्रसाद पारीक की पत्नी अथवा अन्य आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित बिन्दुओं की (प्रति संलग्न) पूर्ति सहित इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
2. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा।
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. डीपीसी/पदस्थापन/वरिष्ठता सीट।
5. निजी पत्रावली।


(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)